रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 1972/ज्येष्ठ 16, 1894

No. 125] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 1972/JYAISTHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June 1972

No. RS. 1/2/72-L.—The following order by the President, dated the 5th June, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

The 5th June, 1972.

V. V. GIRI,
President."

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1972

संख्या आर० एस० 1/2/72-एन.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 5 जून, 1972 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

5 जून, 1972

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972